कार्यालय प्राचार्य,शासकीय लाल चक्रधर शाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बागढ चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अम्बागढ चौकी (छ.ग.)
email ID – principal_lcs@rediffmail.com **Website** – www.lcscollege.in ☎: 07747-299004
Accredited by NAAC with Grade "B+" (CGPA – 2.67)

अम्बागढ़ चौकी दिनांक :– 01/08/2025

// पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सूचना//

महाविद्यालय के समस्त (**ST, SC, OBC**) के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025–26 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण आनलाईन प्रारंभ हो चुकी है, छात्र **http://postmatric-scholorship.cg.nic.in/** बेबसाईट पर जाकर छात्रवृत्ति आनलाईन कर सकते है।

अतः निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्डकापी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा नही करने की स्थिति में छात्र–छात्राऐं स्वयं जिम्मेदार होंगें।

सत्र 2025–26 में PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर प्रविष्ट ही करना सुनिश्चित करें।

वर्ष 2025–26 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थीयों को अनिवार्य रुप से **OTR** की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है।

टीप :– जिन छात्र–छात्राओं ने अन्य छात्रवृत्ति (बी.पी.एल.छात्रवृत्ति/केन्द्रीय छात्रवृत्ति आदि) हेतु आवेदन किया है वह इस छात्रवृत्ति में आवेदन न करें।

विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि संलग्न है–

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1 छात्रवृत्ति आवेदन फार्म। (फार्म में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे।)
2 आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान सत्र में जारी)
3 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4 निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5 बैंक पास बुक की छायाप्रति। **(बैंक खाता आधार से सीडिंग होना अनिवार्य है।)**
6 आधार कार्ड की छायाप्रति।
7 10वी., 12वीं एवं पिछली उत्तीर्ण समस्त कक्षाओं की अंकसूची की छायाप्रति।
8 महाविद्यालय फीस रसीद की छायाप्रति।

टीप – समस्त दस्तावेज इसी क्रम के अनुसार जमाकर संलग्न करेंगे।

छात्र/छात्राऍं छात्रवृत्ति आवेदन की एक प्रति एवं STUDENT ID / PASSWORD अपने पास संभालकर रखे बिना आईडी. पासवर्ड के जानकारी प्रदाय नही की जा सकेगी।

डॉ. के. आर. मंडावी
प्राचार्य
शास. लाल चक्रधर शाह स्नातकोत्तर महा. अं. चौकी
जिला–मोहला–मानपुर–अं. चौकी (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)
Phone No. And Fax No.-0771-2426831 E-Mail- actd.raipur@nic.in

क./न.क–64/आदि.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2025–26/507 रायपुर दिनांक 22/05/2025

// संशोधित सूचना प्रकाशन//

" वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना। "

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रायपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी. आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखतें है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2025–26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही** http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025–26 हेतु निम्नानुसार समय–सीमा का निर्धारण किया गया है:–

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 सितम्बर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2025–26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा। एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:–
   अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय–सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय–सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
2. PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को **NSP Portal** से **OTR (One Time Registration)** प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
4. वर्ष 2025–26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख **(HOI)** एवं **संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (NOI)** का **biometric-authentication** किया जाना अनिवार्य है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायपुर

क्रमशः–2

Scanned with OKEN Scanner